संख्या- 5/2015 /255/74-2015-19(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग

लखनऊ:: दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय" के अन्तर्गत 02 बुलेरो वाहन क्रय हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-137/सेरी0/नजा0/वाहन0क्रय/2014-15, दिनांक 17 मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या-1752/74-2014-19(ब)/2013, दिनांक 13 मार्च, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 02 बुलेरो वाहन M&M Ltd (मॉडल बुलेरो) SLE2WDBS4AC प्रति रू0 624624 की दर से, क्रय करने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुलेरो वाहन की दरों में बढोत्तरी होने के कारण प्रति बुलेरो वाहन रू0 29700/-की दर से 02 बुलेरो वाहन हेतु कुल रू0 59400/-(उन्सठ हजार चार सौ मात्र) की अतिरिक्त स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा शासनादेश संख्या-1752/74-2014-19(ब)/2013, दिनांक 13 मार्च, 2015 में दिए गए शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम एवं लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-255(1)/74-2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,

(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।

(8) नियोजन अनुभाग-4

(9) प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश वेबसाईट पर लोड कर दें।

(10) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।